THE SLUMS AND JHUGGI-JHOPRI AREAS (BASIC AMENITIES AND CLEARANCE) BILL, 2002

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the basic minimum amenities of water, electricity, sanitation and health facilities in slums and Jhuggi-Jhopri clusters and for the clearance of such areas in larger public interest and for matters connected therewith or incidental thereto.

The *question was put and the motion was adopted.*

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) in the Chair.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1998

(to amend the Eighth Schedule) -- contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now we take up further consideration of the Constitution (Amendment) Bill, 1998 (to amend the Eighth Schedule). Dr. L.M. Singhvi to continue his speech.

डा. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, वैसे तो पिछली बार डोगरी भाषा और राजस्थानी भाषा को लेकर जो चर्चा यहां हुई थी , मैंने उसमें भाग लिया था और मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला था किन्तु आज मैं केवल यही बात कहना चाहता हूं कि संविधान बनाते समय 8 वीं अनुसूची के विषय में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, बल्कि आधार यह था कि जनता की मांग क्या है, जनता की इच्छा क्या है, लोंगों का कहना क्या है और उसको किस प्रकार संविधान में जगह दी जाए।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस बात को जब हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पता चलेगा कि जब संविधान बन रहा था, तब ऐसी स्थिति थी कि अलग-अलग देशी राज्यों का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं था और उस समय वैज्ञानिक आधार पर इस बात की चर्चा भी नहीं हुई । किंतु बात इतिहास की भूलों की नहीं है, बात है हमारी राजनीतिक संवेदना की। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि हम जो कमीशन बनाने की बात कर रहे है, कहीं ऐसा ने हो कि उस बात के बहाने हम इस काम को मुल्तवी करते जाएं और इसे मुल्तवी करने से कहीं अधिक नुकसान न हो जाए।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थानी भाषा की बड़ी समर्थ परंपरा रही है । जिस भाषा का ऐसा इतिहास रहा हो, जिस भाषा में शौर्य और श्रृंगार का ऐसा सम्मिश्रण रहा हो, जिस भाषा में अस्मिता की अभिव्यक्ति के लिए ऐसा अवसर मिला हो, उस भाषा को स्वीकार

महोदय, 1967 से लेकर अब तक कई भाषाएं हमारे संविधान की 8 वीं अनुसूची में जोड़ी गई । जब-जब वे भाषाएं जोड़ी गई, तब-तब कोई आयोग नहीं बनाया गया, कोई समिति नहीं बनाई गई । महोदय,सिंधी भाषा को जोड़ा , कोंकणी को जोड़ा गया, मलयालम को जोड़ा गया, मणिपुरी को जोड़ा गया, नेपाली को जोड़ा गया। जब इन सभी भाषाओं को जोड़ा गया,तब यह प्रश्न नहीं था कि इसके लिए कमीशन बनाइए, तब जाकर यह काम होगा । सच बात तो यह है कि इतने बड़े भूखंड की भाषा और इतनी बड़ी जनसंख्या की भाषा को संविधान में स्थान न देना, एक ऐसी भूल है जिससे कभी भी जन-आंदोलन खड़ा हो सकता है और इससे व्यर्थ ही दोनों पक्षों का आमना-सामना हो सकता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात को उपसंहार की और ले जाते हुए यह कहना चाहूंगा कि गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जिस भाषा की प्रशस्ति की, सर आशुतोष मुखर्जी ने जिस भाषा की प्रशस्ति की, जिस भाषा के बारे में सुनीति कुमार चटर्जी ने बार-बार यह कहा है कि इस भाषा की मान्यता होनी चाहिए। जिस भाषा के विषय में भाषाविद और दूसरे लोग एकमत है कि इस भाषा का विस्तार बहुत है, इस भाषा की गहराई बहुत है, इसका सघन साहित्यिक अभिदान बहुत है अगर इस वक्त यह हो सके तो मेरा यह आग्रह सरकार से है कि कभी तो प्राईवेट मेम्बर के बिल को कुछ जगह दीजिए, कभी तो प्राईवेट मेम्बर की बात सुनिए, कभी तो ऐसा हो कि जो वाजिब बात है उसको आप स्वीकार कर लें या फिर आप स्वंय इसको करना चाहतें हैं तो एक समय की अवधि निर्धारित कर दें कि इस समय की अवधि में हम इसको अवश्य कर लेंगे । वैसे तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए । अगर आप सिद्वांता इसको मानते हैं तो आज ही इसको स्वीकार कर लें और कहें कि हम इसको मान लेते है । इसमें फर्क नहीं पड़ता है कि यह प्रस्ताव मंत्री की तरफ से हुआ है या किसी सदस्य की तरफ से हुआ है । विधेयक है और उस विधेयक को स्वीकार करने में सिद्वांतः और व्यावहारिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है तो मेरा आग्रह है कि इसको स्वीकार किया जाए । अगर इसको स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम-से-कम एक ऐसा समय निश्चित कर दें कि उस समय में आप अपनी बात स्पष्ट कर देंगे और तब तक हम प्रतीक्षा करेंगे । क्योंकिमैं नहीं चाहता हूं कि मैं इस विधेयक को वापस लूं या इस विधेयक को वोट के लिए रखा जाए । उपासभाध्यक्ष महोदय, पिछली बार आपने देखा था और मंत्री महोदय उसके साक्षी है कि प्रत्येक सदस्य ने डोगरी और राजस्थानी भाषा की जो मिली-जुली बहस थी, उसका समर्थन किया था । बात केवल मत की नहीं है, बात यहीं है कि आप इस पर विचार करें और सरकार इस सपर संवेदनापूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इसको स्वीकार करने का एक स्पष्ट सकेंत तो आज अवश्य दे दे । धन्यवाद ।

THE QUESTION WAS PROPOSED

श्री मती जमना देवी बारूपाल : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर बोलना चाहती हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) **:** अभी आप बैठ जाइये । जब आपकी बोलेने की बारी आये तब आप बोलना । श्री मूल चन्द मीणा ।

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) **:** उपसभाध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्य सिंघवी जी ने जो व्यक्तिगत विधेयक पेश किया है, सदन को सर्व-सम्मति से इसे मंजूरी दे देनी चाहिए । राजस्थानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा की आठवीं अनुसूची में जोड़ने के लिए काफी दिनों से मांग

चली आ रही है । भाषा से राष्ट्र की एकता का मजबूती मिलती है । राष्ट्रीय भाषा की सूची में भाषा को रखने से लोगों का सम्मान बढ़ता है, तो सभी लोगों का सम्मान बढ़ाने के लिए, सभी लोग अपनी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनने पर खुश होते है, वे इस खुशी को अपने मन के अंदर महसूस करते है । इसी भावना को ध्यान में रखते हुए राजस्थानी भाषा को संविधान की अनुसूची में जोड़ दिया जाए । उपसभाध्या महोदय, राजस्थानी भाषा केवल राजस्थान में नहीं बोली जाती है । यह राजस्थानी भाषा हिन्दुस्तान में तो बोली ही जाती है इसके अलावा दुनिया में भी बोली जाती है । दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां राजस्थानी भाषा बोलने वाले लोग नहीं रहते हों । राजस्थानी भाषा अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनने की स्थिति में है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब संविधान बना तो उसमें 14 भाषाएं राष्ट्रीय भाषा घोषित की गई । उसके बाद संशोधन करे उसमें चार भाषाएं और जोड़ दी गई लेकिन राजस्थानी भाषा को उसमें नहीं जोड़ा गया । राजस्थानी भाषा को संविधान की अनुसूची में जोड़ने के लिए राजस्थान में कई बार आंदोलन भी हुए । राजस्थानी भाषा विश्वविद्यालयों में पढ़ाई भी जाती है । राजस्थानी भाषा के कई लेखकों और विद्वानों को पुरस्कृत भी किया गया है । इसलिए एक ऐसी भाषा , जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा हो – दूसरे देश के अंदर भी जब कोई राजस्थानी जाता है और उसे वहां कोई राजस्थानी मिल जाता है तो वह उससे राजस्थानी भाषा में ही बात करता है । ऐसी भाषा को अगर राष्ट्रीय भाषा की सूची में जोड़ा जाता है तो उससे राजस्थान के लोगों को तो लाभ होगा ही, लेकिन देश से बाहर रहने वाले लोगों को भी इससे लाभ होगा क्योंकि बाहर रहने वाले व्यापारी भी राजस्थान के लोगों से संपर्क करने में ज्यादातर राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते है । महोदय, जो भी भाषा हो, जो राष्ट्र की एकता में सहयोगी हो, राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने में सहयोग करती हो, ऐसी भाषा को अगर राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाता है तो उससे उन लोगों के साथ न्याय होता है उन लोगों की भावना की कद्र होती है । महोदय, राष्ट्र को तोड़ने का, राष्ट्र को खंडित करने का भाषाओं का काम कभी नहीं रहा है । भाषा सीखने की लालसा, भाषा सीखने का मन हर आदमी का होता है कि मैं इस भाषा को सीख लूं । आप हिन्दुस्तान के अंदर ही देख लें । हम हिन्दीभाषी है, अंग्रेजी भाषा हमारे बीच में आयी है । आज हमारे कई विद्वान जो हिन्दीभाषी है, वे गांव में हिन्दी बोलते है लेकिन यहां पार्लियामेंट के अंदर अंग्रेजी बोलते है । वे लोग सीखते हैं और इससे राष्ट्र की भावना को कोई ठेस नहीं पहुंची, राष्ट्रीयता को कोई नुकसान नहीं हुआ । जब इससे राष्ट्रीयता को नुकसान नहीं होता, राष्ट्रीयता को एक करने में मजबूती मिलती है और ऐसी राजस्थानी भाषा को यदि राष्ट्रीय भाषा की सूची में जोड़ दिया जाता है तो इससे राजस्थान के लोगों का भी भला होगा और राजस्थान के लोगों की भावनाओं की भी कद्र होगी कि हमारी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया है । यही मैं आपसे कहना चाहता हूं । धन्यवाद

श्री मती जमनादेवी बारूपाल : राजस्थानी भाषा को दस करोड़ से भी अधिक लोग बोलते है । दिल्ली साहित्य वालों ने भी इसे मान्यता दे दी है । इसके अतिरिक्त तीन विश्वविद्यालयों में भी राजस्थानी भाषा पढ़ाया जाती है । इसलिए मैं आपकी बात का समर्थन करती हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आपका नाम लिखा हुआ है, आप तब बोलिएगा ।

श्री बालकति बैरागी (मध्य प्रदेश) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय डा. सिंघवी के इस प्रस्ताव पर गत सप्ताह भी हम लोग यहां पर चर्चा करने की मनःस्थिति में थे, परिस्थिति में थे । हम लोग डोगरी पर बोल रहे थे और जब आसंदी से मेरा नाम पुकारा गया तो मैने उसमें ज़िक्र

किया था कि मैं डोगरी और राजस्थानी के संधिस्थल पर खड़ा होकर बात कर रहा हूं क्योंकि पहले डोगरी का प्रस्ताव आया था और उसके बाद ही इस प्रस्ताव को लेना था। मैं अपनी खुशकिस्मती मानता हूं कि इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए अपने मुझे भी समय दिया। राजस्थानी के बारे में बात करते समय एक गर्व जो मन में महसूस होता है , उससे मैं स्वंय को सराबोर पाता हूं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय राजस्थानी में मूल में यदि हम जाएंगे तो हम पाते है कि डिंगल से प्रायः भाषाशास्त्री इसकी शुरूआत मानते है। यह भाषा पहले डिंगल थी और चन्दबरदाई से एक परम्परा शुरू होती है। आज राजस्थानी बोलने वाले परिवारों का या राजस्थानी बोलने वाली जनसंख्या का अगर हम आकलन करें तो कई करोड़ से इसकी तुलना हो सकती है, पाचं,सात या आठ करोड़ तक आप इसको ले जो सकते है, जहां तक यह भाषा बोली जाती है – इसके विभिन्न रूप हो सकते है लेकिन राजस्थानी बोली जाती है। अगर लिखी जाती है तो उसकी लिपि देवनागरी है। इसके अतिरिक्त लोग जो एक डर कभी-कभी मन में पैदा कर देते हैं कि इससे हिन्दी को नुकसान होगा, राष्ट्रभाषा को नुकसान होगा तो यह यह चीज़ गत सप्ताह इसी वार्ता के दौरान स्पष्ट हो चुकी थी कि राजभाषा या राष्ट्रभाषा को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, उल्टा हम पाएंगे कि हिन्दी इससे समृध्द होगी। महोदय, छोटे-छोटे क्षेत्रों में राजस्थानी के कई रूप है लेकिन कुल मिलाकर राजस्थानी राजस्थानी ही कही जाती है और इसकी एक विशेषता है जैसा अभी मूलचन्द मीणा और उनसे पहले डा. सिंघवी चर्चा कर रहे थे- राजस्थानी परिवार कहीं भी रहेगा, संसार के किसी भी देश में रहेगा, वह घर में अपनी भाषा राजस्थानी ही बोलता है। उसकी दूसरी भाषा जो राजस्थानी के बाद शुरू होती है , वह हिंदी है और तीसरी भाषा फिर वहां की भाषा हो सकती है अंग्रेजी हो सकती है या उस देश की भाषा हो सकती है। अपने गर्व को, अपने गौरव को , अपनी महिमा को लेकर, अपनी महत्ता को लेकर करोड़ो परिवार सारे संसार में फैलकर इतना महिमामंडित करके अपनी मातृभाषा को बचाकर रखते है। डेढ़-दो सौ या तीन सौ सालों से वे परिवार उन प्रदेशों में रहते है, व्यापार करते है लेकिन उन्होंने अपनी भाषा नहीं छोड़ी। इसके बदले में वे हमसे मांगते क्या है ? मांगते सिर्फ एक चीज़ है कि उनके गौरव को हम संविधान में भी सम्मानपूर्वक अंकित कर दें, आठवीं अनुसूची में हम कहीं न कहीं उसको स्थान देदें और इस बात से उनको आश्वस्त कर दें कि जितना ध्यान आप अपनी भाषा का रखते हो, उतना ही ध्यान यह देश और संविधान भी आपकी भाषा का रखता है। गृह मंत्री महोदय ने गत सप्ताह जो बयान दिया था, उसमें ठीक ही कहा था। उसमें उन्होंने एक डर जैसी स्थिति पैदा कर दी थी, हालांकि उन्होनं आश्वस्त करने की कोशिश की थी। डर यह बता दिया था कि इस तरह से 32 भाषाओं के बारे में ज्ञापन और पड़ा है। जिन पर आपको विचार करना होगा। यह छोटा काम नहीं है, यह बड़ा काम है और उसके मापंदड अभी तय नहीं हुए हैं कि उसका आप कौन सा आधार लेंगे, कौन विशेषज्ञ बैठेंगे जिससे इन 32 भाषाओं के साथ भी इंसाफ हो सके। तब डोगरी और राजस्थानी के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। मैं नहीं जानता कि उसमें वे लोग क्या फैसला करेंगे लेकिन किसी न किसी मोटे निर्णय पर तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। आप भूगोल को आधार न बनाएं तो इतिहास को बनाएं, इतिहास को आधार न बनाएं को संस्कृति का बनाएं, संस्कृति को आधार न बनांए तो उसकी व्याप्ति को बनाएं, व्याप्ति को अगर आप आधार नहीं बना सकते हो तो फिर आप कौन सी कसौटियां उसकी तय करेगे ,यह अभी तक देश के सामने स्पष्ट नहीं है। जहां तक संख्या का प्रश्न है, बहुत कम तादाद में बोली जाने वाली भाषाओं को भी हमने इसमें शामिल किया है । मैं किसी दूसरी भाषा का उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि कोई भी भाषा छोटी नहीं है। हर भाषा अपनी जगह बड़ी होती है और

भारतवर्ष की क्षमता, ऊर्जा और संस्कृति में हर भाषा का पूरा महत्व है । तो मेरा आपसे एक निवेदन है । एक छोटा सा उदाहरण में देना चाहता हूं । यदि राजस्थान स्वंतत्र देश होता, भारत का हिस्सा न होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र होता तो राजस्थान के एक बहुत बड़े कवि जो कलकत्ता में बैठे हुए है, श्री कन्हैय लाल सेठिया, उनका एक गीत आज गांव-गावं, मोहल्ले-मोहल्ले में गाया जाता है " धरती धोरयां सी", वह गीत वहां का, राष्ट्रगीत हो गया होता । यदि चन्दबरदाई से लेकर हम कल्याण सिंह राजावत तक चले आएं, रघुराज सिंह हाड़ा तक चले आएं, मेघराज मुकुल तक चले आए, मैं पचास कवियों के नाम ले सकता हूं और इस सदन की जो सदस्या है, हमारी बहन श्री मती सरला माहेश्वरी, उनके पूज्य पिताजी का यदि मैं नाम लूं जो कि हिंदी और राजस्थानी के एक बहुत बड़े कवि है, श्री हरीश भादानी, यदि मै उन तक इस परंपरा को लेकर आऊं तो आप पाएंगे कि राजस्थानी में विपुल साहित्य की रचना हुई है । राजस्थानी किसी भी तरह से विपन्न नहीं है । राजस्थानी किसी भी विद्या में कमज़ोर नहीं है । आपको उसमें नाटक मिलेंगे, आलोचना मिलेगी, गद्य मिलेगा, पद्य मिलेगा, चंपू मिलेगा, हर चीज़, हर विद्या में उसका साहित्य सजन हो रहा है । तो मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि इतना विषद क्षेत्र यदि इस भाषा का है तो संसद के इस सदन को और समूची संसद को बहुत गंभीरता से इसके साथ न्याय करने को एक संकल्प लेना चाहिए । जैसा कि हम देखते आ रहे है, लंबे समय से यह परंपरा है कि सरकार एक आश्वासन लेकर आती है और फिर हम कहते है कि ठीक है, आप इस आश्वासन की पूर्ति कर दीजिए । हमारे माननीय सदस्य श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी जी ने पूरे तर्को के साथ राजस्थानी भाषा को अनुवर्ती सूची में लेने के लिए संकल्प लिया है, लेकिन मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि यदि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली सरकार ने भी इन भाषाओं को संविधान में सम्मानजनक स्थान पाने का संकल्प सिध्द नहीं होता है या सफल नहीं होता है तो फिर आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे है ? यह देश आखिर किसकी प्रतीक्षा कर रहा है ? सदन में आप संकल्प को वापस लेने की बात करते है । माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं चूंकि मध्य प्रदेश राजस्थान से लगा हुआ है, मेरा ज़िला जहां खत्म होता है वहां से 13 किलोमीटर देर से राजस्थान शुरू हो जाता है । मैं कह सकता हूं कि आम चुनावों में, बड़े चुनाव हों या छोटे चुनाव हों या पंचायत के चुनाव हों, राजस्थान की सरकार और लोकसभा के गठन में राजस्थानी भाषा का भाषणों में पूरा उपयोग किया जाता है और उसमें वोट मांगे जाते है, ऐसा नहीं है कि नहीं मांगे जाते है । जब भाषा पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के चुनाव में हमारी सहायता करती है, जिसके पास अपना व्याकरण है, हां यदि राजस्थानी के पास अपना व्याकरण नहीं होता तो हमारा तर्क कमजोर पड़ जाता लेकिन जिसके पास अपना व्याकरण हो और जो हिन्दी की समृद्वि के लिए अपनी लिपि सहित सारा अनुष्ठान लेकर बैठी हुई हो, उस भाषा के साथ इंसाफ होना चाहिए । माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस पर पुनर्विचार करे, इसके लिए विवश नहीं करे कि आप इस सकंल्प को वापस ले लीजिए । आप वचन दीजिएगा,वादा कीजिएगा, अपने वचन को किसी तरह से भी कमजोर मत होने दीजिएगा और अपनी सरकार से कहिएगा कि सारा सदन इस मामले में एकमत है इसलिए इन भाषाओं के साथ पूरा न्याय होना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं डा. सिघवी के इस संकल्प का समर्थन करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि आप जिस किसी भी कमेटी को इसे देना चाहें, कृपा करके उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दीजिएगा कि इतने समय के भीतर आप उससे रिपोर्ट ले लेंगे और इनके साथ इंसाफ कर देंगे ।

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (सुश्री उमा भारती) **:** कविता के बगैर भाषण कम्पलीट मत कीजिए।

श्री बालकवि बैरागी : यह राजस्थानी का मामला है और मैं जानता हूं कि आप राजस्थानी नहीं समझ पाएंगे।

सुश्री उमा भारती : समझ जाएंगे। मारवाड और राजस्थान बॉर्डर पर है।

श्री मूल चन्द मीणा : उमा भारती जी समझ जाएं तो इसे मान्यता दिलवा दीजिएगा।

श्री बालकवि बैरागी : उमा जी ने कहा इसलिए एक दोहा, जो मेरा नहीं है, महाकवि कन्हैय लाल सेठिया का है, उसे पढ़ता हूं और जिसने भी कहा है अगर वे इस दोहे को समझ लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) **:** अगर समझ नहीं पाएं तो समझा दीजिएगा।

श्री बालकवि बैरागी : मैं समझा देता हूं, व्याख्या भी कर देता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कहाकवि कन्हैया लाल सेठिया का दोहा पढ़ रहा हूं । मां को हमने ईश्वर क्यों माना है ? मां को ईश्वर क्यों माना जाता है ? हमारे यहां एक प्रचलित बात है कि ईश्वर हम सब के सशरीर रहना चाहता था किन्तु ऐसा नहीं हो सका इसलिए उसने मां को बना दिया। इस देश में यह सिलसिला चला हुआ है कि हम ईश्वर को मां मानते है, और मां को ईश्वर मानते हैं। आप सब मानते हैं, हम सब मानते है, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, कन्हैया लाल सेठिया जी ने इसे सिद्व किया है, राजस्थानी में है, यह मेरा नहीं है, उनका दोहा है। इसमें एक-एक शब्द है। अगर मेरे जैसा कवि लिखता तो फूहड़ हो जाता लेकिन जब कोई महाकवि लिखता है तो वह आराध्य की तरह हो जाता है। वह ईश्वर से जुड़ा है। गणित को जड़ माना जाता है क्योंकि गणित में डिसिप्लीन है। गणित में दो और दो चार होते है इसलिए ईश्वर का अगणित माना जाता है । महाकवि लिखते है, कती दॉण बोबो दियो, ईश्वर अगणित क्यों है और गणित जड़ क्यों है ? गणित में दो और दों चार होंगे, आप ईश्वर की गिनती से नहीं जोड़ सकते, महाकवि कन्हैया लाल सेठिया लिखते है, कती दॉण बोबो दिया, मां कद राखे याद । मां यह कभी गिनती नहीं करती कि उसने बेटे को कितनी बार स्तनपान कराया । अगर मां गिनती करती तो बच्चा मर जाता या बच्चे का जीवन मुश्किल हो जाता। "कती दॉण बोबो दियो, मां कद राखे याद, गिणती में पड़ भूल ग्यो मन अणगिण रो स्वाद। " जब मनुष्य गिनती के चक्कर में पड़ गया तो अनगिनती का स्वाद भूल गया। अगर वह गिनती में नहीं पड़ता, इस सदन में इन महाकवि के साथ न्याय होना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द्र मीणा: न्याय करवा दें।

श्री बालकवि बैरागी : कती दॉण बोबो दिया, मां कद राखे याद । गिणती मेंपड भूल गयों, मन अणगिण रो स्वाद। बेटा या बेटी जब मां से कहने लग जाए कि तूने मेरे लिए क्या किया, कितना किया तो वह ईश्वर को भूल जाता है। यह दोहा महाकवि कन्हैया लाल सेठिया का है और मैं सिंघवी जी के संकल्प के नीचे इस दोहे को नहीं रखना चाहता, उससे ऊपर रखना चाहता हूं। यह एक महाकवि कादोहा है, एक बड़ा कवि संकल्प कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हमारी बात का आगे तक पहुंचाए

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) **:** यह विधेयक है, संकल्प नहीं है।

The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjournetl for lunch at one of the clock.

The House re-assembled after lunch at five minutes past two of the clock,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) in the Chair.

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश)**:** उपसभाध्यक्ष जी, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने की अनुमति दी। मान्यवर, इस देश में भाषा एक बहुत ही संवेदनशीन विषय हो गया। उसका मूल कारण यह था कि 1965-66 में मैं समझता हूं कि कुछ जो हिन्दी प्रेमी थे उन्होनें अपने पागलपन में जिस प्रकार का अभियान चलाया उसके एक हॉस्टिलिटी साउथ में हिन्दी के प्रति पैदा हो गई और उसक कारण ही तमिलनाडु बना, उसके बाद तेलुगुदेशम बना, अर्थात् भाषा इस देश को टुकड़ों में बांटने का साधन सा बन गया। राजस्थानी लैंग्वेज बहुत समृध्द है और बहुत योग्य भाषा है, इसका मैं विरोध नहीं करता। परन्तु आठवें शैड्यूल में आने के लिए जैसा मंत्री जी ने बताया 33 भाषायें लाइन लगाए खड़ी है। प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से इनका लिया जाए या नहीं लिया जाए। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि इस मामले को एक गवर्नमेट के हाथ में छोड़ना मुनासिब नहीं होगा। सभी दलों को एक साथ बैठ करके निर्णय लेना होगा, पैरामीटर्ज़ बनाने होंगे कि कौन सी भाषा आठवें शैड्यूल में लाने योग्य है और उन पैरामीटर्ज में यह देखना पड़ेगा कि क्या भाषा अपने इलाके में बच्चों को कम से कम इंटरमीडिएट तक ऑर्ट, कॉमर्स और साईस में शिक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम है या नहीं। इसके अतिरिक्त उसे यह भी देखना पड़ेगा कि उस भाषा का जो लिटरेचर है वह कितना समृद्व है, क्वालिटेटिव्ली में और क्वांटिटेटिव्ली भी, साथ ही वह कितने जोगरफीकल रिजन को कवर करती है। और फिर कितने पॉपुलेशन में वह व्याप्त है। इसके अतिरिक्त भाषाविदों को बुला करके और जो भी पैरामीटर्स आठवें शैड्यूल में लाने योग्य बनाते है किसी भाषा को ,उनके लिए उनकी राय लेना भी आवश्यक होगी। इस देश में थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला बहुत पहले से चला आ रहा है। आज तक वह क्रियान्वित क्यों नहीं हो पाया, यह बड़ा भारी दुर्भाग्य है। मैं समझता हूंकि इसमें भी हमारे सारे दलों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा और प्रत्येक प्रदेश को मजबूर करना पड़ेगा कि वह कोई तीसरी भाषा अपनाए। उसको कैसे क्रियान्वित करायेंगे, उसका बहुत ही सीधा-सादा एक फॉर्मूला बन सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश को कह दिया कि आप तमिल, तीसरी भाषा अपने यहां हाई स्कूल लेवल तक पढ़ायेंगे, बिहार को कह दिया तेलुगु उत्तरी राज्यों में दक्षिण की भाषाएं और दक्षिणी राज्यों में हिन्दी ही काफी होगी और फिर उन स्टेट्स के जो पब्लिक सर्विस कमीशजं के एग्ज़ामिनेशंज है, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके लिए बाध्य कर दिया जाए, अनिवार्य कर दिया जाए, जैसे प्रथम वर्ष में यूपी के लोगों को अगर तमिल भाषा अलाट हुई है तो जो भी बैठेगा उसको जो तमिल का पहले दर्जे का सिलेबस है, उस सिलेबस के आधार पर एक पेपर सैट होगा और उसमें पास होना अनिवार्य होगा। अगले साल दर्जा दो तक का जो सिलेबस है वह लागू होगा। धीरे-धीरे करके दस साल में तमिल में यूपी में लोगों को दसवीं के दर्जे की जो तमिल है उसमें योग्यता लानी पड़ेगी। इस तरह से हर प्रदेश में अगर एक भाषा निर्धारित की जाए और पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी

इम्तहान होते है स्टेट्स या सेंटर मे, उन में एक पेपर अनिवार्य रूप से सेट कर दिया जाए। उस में जब केंडीडेट पास नहीं होगा तो वह क्वालीफाइ नहीं करेगा, ऐसा प्रावधान कर दिया जाए। इस तरह मेरे ख्याल में अगले 10 वर्ष में कम थ्री लेंग्वेज फॉर्मूला बहुत आसानी से पूरे राष्ट्र में चला सकेंगे। साउथ इंडिया में भी इसी प्रकार से दसवीं क्लास तक ही हिंदी में प्राफिसिएंसी लानी पड़ेगी। इस तरह से एक बहुत स्वस्थ और अच्छा वातावरण निर्मित होगा और पूरे देश में आज जो भाषा की समस्या चल रही है, उस समस्या का निदान हो सकता है। इस तरह के जब पैरामीटर्स बन जांएगे तब किसी भी भाषा को आठवीं अनुसूची में लाते वक्त एक्जामिन करना पड़ेगा और उन पैरामीटर्स में जो भी भाषा सफल होती है, उस को आठवीं अनुसूची में लाने में सभी दल एक तरह से यूनानिमसली एक्सेंप्ट करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करेंगे अन्यथा जिस भाषा को आठवीं अनुसूची में नहीं लाएंगे, उस इलाके के लोगों के मन में एक हीनता की भावना पैदा होगी। उन को लगेगा कि हम जैसे भारत को बिलांग ही नहीं करते, जैसे कि भारत उन का देश नहीं है। तो यह जो फीलिंग है, पनपने देना बहुत ही खतरनाक होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस मामले में एक पक्की नीति जितनी शीघ्रता से निर्धारित कर सर्वदलीय बैठक बुलाकर और सभी दल एक निर्णय लेंगे तो इस समस्या का समाधान संभव हो सकता है। धन्यवाद।

डा. कुमकुम राय (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय,मैं आप की बहुत आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप ने बोलने का मुझे मौका दिया।

राजस्थानी भाषा को सविंधान की आठवीं अनुसूसची में लाने हेतु यह जो प्रस्ताव आया है, इस पर अपने विचार व्यक्त करने के पहले मैं इस उच्च सदन का ध्यान आधुनिक हिंदी साहित्य के युगप्रवर्तक साहित्यकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की कुछ पंक्तियों की तरफ दिलाना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि, "निज भाषा उन्नति होए, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को शूल।" महोदय, हालांकि उस समया हिंदुस्तान गुलाम था, अंग्रेजों की हुकूमत थी और अंग्रेजी का वर्चस्व था, ऐसे समय जब उन्होने निज भाषा की उन्नति पर जोर दिया था तो निज भाषा से उन का तात्पर्य मातृभाषा से था। महोदय, जैसा कि मैं समझती हूं मातृभाषा वह भाषा है जिस में शिशु मां की गोद में दुनियावी तमाम जानकारियों को हासिल करता है, वही भाषा मातृभाषा होती है। इसलिए भारतेन्दु जी ने जब निज भाषा में कामकाज करेगे निज भाषा की उन्नति पर जोर दिया था, उस के करीब सौ सालों के बाद आज भी संविधान की आठवीं अनुसूची में जिन-जिन क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता मिली हुई है बावजूद इस के उन क्षेत्रीय भाषाओं मे, उन राज्य विशेष में भी कितना सरकारी कामकाज होता है ? क्या वे अनुसूची में शामिल उन भाषाओं में जो भाषाएं है, क्या उन को हम ने अपनी संपर्क भाषा के रूप में भी इस्तेमाल किया है। यह अपने आप में एक सर्वेक्षण का विषय है। मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि इस विशाल हिन्दुस्तान की एक अरब से ज्यादा की आबादी, हिन्दी राजभाषा राष्ट्रभाषा होने के बावजूद, सभी प्रदेशों में सब की अपनी अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और लंबा-चौड़ा इतिहास,समृध्द साहित्य, साहित्यकारों की एक समृध्द श्रृंखला, अपना प्राचीनतम इतिहास होने के बावजूद अंग्रेजी का जो वर्चस्व है, अंग्रेजी की जो दादागीरी है, उसके कारण हिन्दुस्तान की तमाम क्षेत्रीय भाषाओं को समुचित विकास नहीं हो पाया है। आप सब इस बात से सहमत होंगे कि भाषा भावना और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है और व्यक्ति जिस भाषा में सोचता है उसी भाषा में यदि वह अपने भावों को अभिव्यक्त करे तो उसे जितनी सफलता मिलेगी, उतनी सफलता सोची हुई भाषा

से दूसरी भाषा में अनुवादित कर फिर उसे अभिव्यक्त करने में नहीं मिलेगी क्योंकि हम सोचते है अपनी मातृभाषा में और फिर हमारा मस्तिष्क शीघ्रता से उसे अनुवाद करता है अंग्रेजी में और तब हम अंग्रेजी में बोलते है । यही कारण है कि आज भी अनेक समस्याओं की जड़ में हिन्दुस्तान की यह भाषा नीति है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज भले ही राजस्थानी भाषा को संविधान में मान्यता दिलाने के लिए यह बात प्राइवेट बिल के रूप में आई हो, लेकिन इसकी अपनी समृध्द पंरपरा है । मीरा के भजन घर घर में गाए और गुनगुनाए जाते है । राजस्थानी भाषा का अपना समृद्व साहित्य, समृद्व साहित्यकार, समृद्व व्याकरण है और इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से यह अयोग्य नहीं लगता कि इसे संविधान की अनुसूसची में स्थान न मिले । आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं में बोलने वाले, पढ़ने वाले और लिखने वाले तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जब अपना उत्तर लिखते है तो उनकी भाषाओं के आधार पर उनके परीक्षकों की भी नियुक्तियां होती है । बीच में, कुछ वर्ष पहले एक विवाद सामने आया था कि एक खास आंचलिक भाषा, जिसको मान्यता प्राप्त हुई, उसमें छात्रों ने राज्य-स्तरीय प्रतियोंगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं में लिखकर प्रतियोगिता में अच्छे स्थान प्राप्त किए थे ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहती हूं कि साक्षरता का संबंध भाषा से है । हमने बड़े गौरव से कहा था कि हिन्दुस्तान में केरल में अर्णाकुलम में लोग शत-प्रतिशत साक्षर हुए । लेकिन साक्षर किस भाषा में हुए ? किस भाषा में साक्षरता का अंक शत-प्रतिशत अंक कर सके ? इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है । इसलिए मैं इस बात पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी कि हम साक्षरता की दर को देखकर के चिंतित होते है और साक्षरता के तमाम अभियान, कार्यक्रम और योजनाएं साल-दर-साल बनाते है, लेकिन साथ ही साथ यदि हम उस इलाके, उस अचंल, उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं में साक्षरता के लिए वैसी किताबों का प्रकाशन करें तो मेरा विश्वास है कि साक्षरता की जो दर आज आपकी है वह भी आने वाले भविष्य में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करेगी । इसलिए मेरा कहना है कि राजस्थानी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो । सिंहल साहब ने अभी बहुत अच्छी बात कहीं कि इसके लिए एक निश्चित मापदंड बनाए जाएं कि क्या उस भाषा में इंटरमीडिएट तक की भी शिक्षा दी जा सकती है, सांइस, आर्ट्स और कामर्स की किताबे उपलब्ध है, उच्च तकनीक की किताबें उपलब्ध है, इंजीनियरिंग और मेडिकल की किताबें उपलब्ध है और यदि नहीं है तो यह कहा जा सकता है कि इतनी निश्चित अवधि तक यदि यह भाषा सारी शर्तें पूरी कर लेती है तो उस पर विचार होगा । मैं सिंहल साहब के इस विचार से भी अपनी सहमति व्यक्त करना चाहती हूं कि भाषा दिलों को जोड़ने का माध्यम बने,दिलों को तोड़ने का माध्यम न बने । किसी भी गलत आन्दोलन के लिए यह हथियार और औजार के रूप में काम में न लाई जा सके । इसके लिए सरकार को एक निश्चित भाषा नीति बनानी चाहिए और उसके कार्यान्वयन के लिए जो सख्ता कदम आवश्यक हों, वे उठाए जाने चाहिए ।

महोदय, कुछ वर्ष पहले त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया गया, जिसके तहत दक्षिण की कुछ भाषाएं स्कूल स्तर पर उत्तर के कुछ राज्यों में अनिवार्य की गई थी और उत्तर की कुछ भाषाएं दक्षिण के राज्यों में अनिवार्य की गई थीं, लेकिन इच्छाशक्ति के अभाव के कारण यह त्रिभाषा फार्मूला सफल नहीं हो सका और इसे विदड्रा कर लिया गया ।

इसलिए, उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इन सारे बिन्दुओं की तरफ आकर्षित करते हुए अनुरोध करना चाहती हूं कि हमें इस विषय पर बहुत गंभीरता से मनन् करना होगा और मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि वह एक सख्त भाषा-नीति बनाए। हिन्दुस्तान की एकता और अंखडता को सुरक्षित रखने के लिए भाषा को एक साधन के रूप में हम इस्तेमाल कैसे करें, इस पर हमारी नीति बने और सिर्फ नीति ही न बने बल्कि उसका सख्ती से पालन भी किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजस्थानी भाषा को संविधान की 8 वीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, on a perusal of the Bfll moved by Dr. Singhvi, for amending the Constitution to include Rajastheni language in the Eighth Schedule, I was somewhat surprised. When there are already eighteen languages in the Schedule, now could Rajastnani language miss it, all these days, is a big mystery. It js a six crore-popuiated State. People of Rajasthan are found all over the world. It is a State with a great cultural heritage, with a great literary value. So many States have included their mother tongue in the Eighth Schedule. But it is surprising to know how this Rajastnani language has not found its place in the Eighth Schedule.

Though the three-language-formula was not officially agreed to, a lot of debate went on. But you will have to accept it in today's practice. The three-language-formula is being followed. Take the example of Orissa. In Orissa, everybody speaks Oriya, Hindi and English, which, of course, is common. Take another example of West Bengal, where Bengali, Hindi and English are spoken. Like that, there are a number of States. In almost all States, the regional language along with Hindi and English are spoken. But some people always speak of only Hindi, हिन्दी होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। That is wrong. If you leave India, if you don't know English and if you want a glass of water, you will have to gesture. Otherwise, nothing will move. There is modern technology now. Science has improved tremendously in the international level. With the present modernisation and advancement in scientific research, medicine and other fields, you can't dream to achieve at the international level. Unless you know the international language, you can't expect the country to achieve in the above mentioned fields. Therefore, it is very nice that there are three languages. English and Hindi languages are already there everywhere. Now, the question is, the hon. Minister has said that thirty-three languages are in queue. Therefore, देखेंगे, सोचेंगे That is not correct. How can you equate those thirty-three languages with Rajasthani language? It is not

correct at all because they may miss a number of languages. In some States there may be eight languages. There may be tribal and other languages. They cannot be equated. There should be a system whereby we can equate a language by looking at how many people are speaking, how much population contained in that State and also how much population in India are appreciating the system. All these points have to be taken into consideration. Therefore, I strongly feel that Rajasthani language should be included. Sir, Rajasthan is not only a historical State, it is a State not only contributing to the industrial growth in India, but also in the world. We feel proud when a person born in Rajasthani is found in various parts of the world doing business. That is their luck. So, a State, which is contributing its might to the industrial growth of the country, a State which is having six crores of population, a State which has historical significance, I am surprised to know that you are not including the language of that State in the Eighth Schedulel I am also surprised to know that in Rajasthan everybody speaks Rajasthani language, besides Hindi. Therefore, even if you look at the issue from that angle, it is laudable.

If you look at it from the literary angle, you will find that Sahitya Akademy recognised Rajasthani language. Therefore, after looking from all these angles, I request the hon. Minister not to link this language with other thirty-three languages. The next point is that you have to consider the wishes of the so many crores of people.

The next point is the hon. Minister has to examine thoroughly the issue. You take, for example, West Bengal. How have you included the Bengali language in the Eighth Schedule? You have included Oriya. Of course, I do not want to go to South, because we always go with one regional language and English. Hindi is not there. At least, if you look at the Hindi-speaking States -- North, East and West -- you will find Hindi everywhere, apart from the regional language. This argument itself is enough to include Rajasthani language in the Eighth Schedule of the Constitution. Therefore, I entirely agree with Dr. Singhvi. It is a very good idea that he moved this Bill to include Rajasthani language in the Eighth Schedule. Therefore, I strongly support it. If you debate it from any angle, it is justifiable, laudable, appreciable and commendable. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Shrimati Jamana Devi Barupal - absent.

(THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANGH PRIYA GAUTAM) IN THE CHAIR)

डा. फागुनी राम (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया । महोदय, राजस्थान का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है । हम जब उसके इतिहास में जाते है तो हमार सिर गौरव से ऊंचा हो जाता है । जब यहां के लोगों पर कठिनाइयां आ रही थी, तो महाराणा प्रताप ने बड़ी वीरता से उनका मुकाबला किया था । इसलिए महाराणा प्रताप का नाम लेने से हमारा सिर गौरव से ऊंचा हो जाता है और हम में आत्मबल भर जाता है ।

महोदय, राजस्थान में कुछ ऐसी चीजें है दूसरी जगह नहीं मिलतीं जैसे संगमरमर की चीजें, मूर्तियों की नक्काशी, बहुमूल्य पत्थर और उनकी नक्काशी और उन्हें तराशने की कला राजस्थानी कपड़ा, लहंगा और चुनरी । आज भी विदेशों में इन चीजों का महत्व है । हम जब अनेक जगहों पर जाते है तो यह देखते है कि सभी तरह के काम करने के लिए, कारीगरी का काम करने के लिए, घेरलू काम करने के लिए, फील्ड से काम करने के लिए, मिट्टी का काम करने के लिए, घर बनाने का काम करने के लिए, नक्काशी का काम करने के लिए, राजस्थानी कामगार मिल जाते है । वे लोग न हिन्दी जानते है, न अंगेजी जानते है, वे तो अपनी स्थानीय भाषा ही बोलते है । इसलिए हमें उनके ह्रदय की भावना को समझना चाहिए, जो हमारा निर्माण का काम करते है, जो हमारी प्रतिष्ठा बनाते हों, उनकी भाषा को नहीं समझने से हमें कठिनाई होती है । ऐसा लगता है कि इसी भारत के लोग केवल भाषा के नहीं जानने के चलते, हम लोगों को लगता है कि ये दूसरे है । अगर ये अपनी भाषा जान गये तो हमें अपनापन का एक माहौल मिल जायेगा । यह ठीक है कि हमारे देश में विभिन्नता में एकता है । यह देश इतना बढ़िया है, इतना समझदार है ऐसा गौरवशाली है कि जहां पर तरह-तरह के रीति-रिवाज है तरह-तरह की वेश-भूषा है, तरह-तरह के आचार-विचार है, संस्कार है, संस्कृति है और भाषा का आदान-प्रदान भी है । हमारे यहां अनेकता में एकता है । हमारे यहां छह करोड़ राजस्थानी लोग है, वे बड़ी मीठी भाषा बोलते है, जब मगही का हो सकता है, जब भोजपुरी का हो सकता है, जब तमिल-तेलुगू का हो सकता है, जब पंजाबी भाषा का हो सकता है, तब हम समझते है कि राजस्थानी को भी आठवें सूची में डाल देना चाहिए । यह राजस्थानी भाषा स्नेह को बढ़ाने वाली है । इस काम के लिए मैं बड़े भाई माननीय सिंघवी साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि वे बहुत जरूरी विधेयक लेकर आये है । यह विधेयक तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था । इस विधेयक को वे यहां पर लाये, इसके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं

भाषा हमारी अभिव्यक्ति का साधन है । क्योंकि जब कोई भाषा बोली जाती है तो उससे पता चलता है कि यह व्यक्ति कहां का रहने वाला है । हम अगर उसका परिचय नहीं पूछे, उसका स्थान भी नहीं पूछें, कि वह कहां का रहने वाला है, यदि केवल वह व्यक्ति अपनी भाषा में बोले तो उससे पता चल जाता है कि यह व्यक्ति फला जगह का रहने वाला है । हम एक बात जनाते है, अयं निजः परोवेति गणना लघुसचेत्साम्, उदारचरितानाम् तु वसुधैव कुटुम्बकम । जब हम वसुधैव कुटुम्बकम् की बात करते है तो राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, उसे अपना कहें, हमारे यहां भोजपुरी बोली जाती है, उसको कहें अपना । हमारे यहां मगही बोली जाती है उसको कहें दूसरा, हम जहां से आते है, जहां मैथिली बोली जाती है, उसे कहें दूसरा और फिर

अंगिता भाषा बोली जाती है, उसको कहें दूसरा, एक बिहार में ही कई भाषाएं बोली जाती है । हमारे यहां यही विशेषता है कि यहां हर धर्म के लोग, हर भाषा के लोग, हर जाति के लोग, हर रंग के लोग, हर विशेषता के लोग रहते है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हम देखते है कि हिन्दुस्तान अनेक भाषाओं को देश है । यहां राजस्थानी भाषा बोली जाती है, पंजाबी भाषा बोली जाती है , हरियाणवी भाषा बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है, खड़ी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी भाषा बोली जाती है, मैथिली भाषा बोली जाती है , अंगिका भाषा बोली जाती है और कभी कहा जाता है कि साहब ये दिल्ली के लोग है, ये दिलयाई भाषा बोलते है, हमारे देश में 15-20 कोस पर भाषा और आचार-विचार बदल जाते है । हमारी विशेषता है, क्योंकि हम अपने हिन्दुस्तान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते है तो वहां के आचार-विचार सीखते है, हर तरह की वेशभूषा और रहन-सहन सीखते है, शादी के रीति-रिवाज सीखते है, संस्कार सीखते है । अपने देश में हम सभी चीजों को एक साथ जान पाते है, यह हमारे लिए गौरव की बात है । हमारी भाषा अभिव्यक्ति का साधन है । हम भाषा के माध्यम से ही अपनी बात कहते है । हम राजस्थानी भाषा को एक महत्वपूर्ण भाषा समझते है । इस देश के इतिहास को जानते हुए और इस भाषा के बोलने वालों की संख्या को देश –विदेश में जानते हुए हम इस भाषा के महत्व को समझते है इसलिए मेरा अनुरोध है कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए । यह हमारे लिए गौरव की बात होगी और राजस्थान के लोगों का अपनापन का आभास होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं । आपने मुझे बोलेने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANGH PRIYA GAUTAM): Now. Shri Ekanath K. Thakur. You have two minutes. So, please confine to your time.

SHRI EKANATH K. THAKUR (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman. Sir, I do not want to make a long speech. I rise to support this Bill which has been presented before us by no less a person than Dr. L.M. Singhvi. Sir, on behalf of the people of Maharashtra, and as an Indian to another India; first, I want to apologise to Dr. Singhvi that we, the Indians, have neglected this language so far, till date, till be brought this Bill. This should have been included in the Eighth Schedule immediately after Independence, along with other languages of the Indian States. Sir, many speakers here, have recalled the great contribution that Rajasthanis have made in the field of art, literature, science, culture, business, industry, trade and commerce. Rajasthanis are in the vanguard of the Industrial Revolution in this country; the development of this country; and they have made their contribution not only in India, but in many parts of the world. They are known as a very innovative, creative and hard working community. Rajasthanis have a pride of place wherever they go. Sir, I come from the financial capital of this country, Mumbai; and Rajasthanis have made a great contribution to my city

and to my State. So, Sir, not only are there rich Rajasthanis, who are traders and industrialists, but there are poor Rajastrjnis also, who are working In remote areas of our country. In my State, most of the houses are built by Rajasthanis, because they have specialisation, they have expertise, and they have a rare sense of art which they have cultivated, over the years. Our NDA Government prides itself, very rightly, on these champions of India's rich heritage and culture. And, Sir, this will be a very sincere gesture towards the Rajasthani language. It is often said that there are many languages In the Eighth Schedule. Sir, I don't understand why this should happen. We have various Indian States, which have been accepted by the Constitution, created under »he Constitution and their geographical boundaries have been well-clef!; ted. In each State, we can find out, wWch is the largest population which speaks that language, i.e., which is the language spoken by the largest population. And, If that criterion is met, then, one or two languages of each Stat- would be given pride of place in the Eighth Schedule. I am more lhan confident that the Rajasthani language deserves this honour, deserves this recompense, because even without official recognition of the language, Rajasthanis have made so much of progress. You can really wonder how much progress they could have made, if their language was honoured among other official languages of India. With these few words, as a Member of my Party, as a Member from Maharashtra, and as a Member of this House, I wholeheartedly, support the proposition here. Thank you.

SHRI R.S. GAVAI (Maharashtra): Sir, I am extending my support to this Bill. As a matter of fact, we have accepted the principle of linguistic provinces. On the basis of that, various States have been formed. You will recollect the speech of the Prime Minister, which he delivered during the Golden Jubilee Year of Parliament, wherein he mentioned that various State languages have their own place. And as we have accepted the principle of linguistic provinces, instead of leading to deviation, it would help in strengthening the unity. So, principally, I do feel that a great injustice has been done to Rajasthani language. While considering the Fifth Schedule, article 344(1) and 351, if we give a glance at the list incorporated in the Schedule, we will find that though, practically, there are 18 languages, but the point is that every State is represented, because Hindi is spoken in many States. No doubt, it is a' complementary language, but Rajasthani language has its own cult. Therefore, I say that there is rather a delay on our part, and we must be thankful to Dr. Singhvi for having brought forth this Bill. After 52 years, since the formation of this Schedule, that is, in

1950, we are thinking about the injustice done to Rajasthanis, and expecting justice from the Government. Sir, I do give importance to Rajasthani language. As my hon. colleague, Shri Thakur said, I also belong to Maharashtra. Almost in every State, from the village level to the city level, Rajasthani language is spoken. In my own village, almost one-fifth of the population comprises of Rajasthanis. We do share the culture and tradition of Rajasthan. Therefore, I would like to highlight the aims and objectives of this Bill that there is a widespread and popular demand for inclusion of Rajasthani language in the Eighth Schedule. I do say that it is the demand of the Indian people. I belong to Maharashtra, but I have love and affection for Rajasthani language. It is a rational demand of the nation, as a whole, and not of Rajasthan alone. Mr. Vice-Chairman,Sir, the demand for inlcuding Rajasthani language has come up because it is rich in culture. It has a very vast literature. Literature of Rajasthani language is preserved in many Universities. It is also a subject of research in many Universities, though other local language is spoken, they have adopted the Rajasthani language, because of its richness in culture and literature. Besides, the richness of Rajasthani language and literature are recognised by the Sahitya Akademi. Therefore, as far as this language is concerned -- in spite of having a rich culture, heritage and background- if it is not included, I feel, injustice will be done to the principle which we have accepted. As a matter of fact, every language has importance of its own, at the State level and also at the national level. I do believe that this demand has come from the whole nation, and not from Rajasthan alone. Once again, I request that the Government should come forward, and accept this demand. Once again, I extend my thanks to Dr. Singhvi, for having brought forth this Bill.

DR. M.N. DAS (Orissa): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. I could have spoken enought about Rajasthani, but I would confine myself to one or two minutes only. I, wholeheartedly, support this Bill, brought forth by my revered, superior and senior colleague, Dr. L.M. Singhvi. Sir, today, we call it Rajasthan. But, from Sixth Century A.D., till recent times, it was famous as *'Rajputana',* and its people were known as *Rajputs.* If you study the history of *Rajputs,* you will understand the real spirit of the Indian ethos, the Indian culture, the Indian heritage and the Indian tradition. Sir, *Rajputs* were not originally Indians; they were Huns, who came and destroyed the Gupta Empire and settled in *Rajputana.* But, within no time, they became so much Indianised that the whole of India accepted the *Rajput* race as the leaders of the society, the head of the community, and the head of the

entire Hindu population. That was the prestige of Rajasthan. Sir, when one reads the book entitled, "Annals and Antiquities of Rajasthan" written by Col. Tod, an Englishman, a military man, one feels very proud of this land, every place of it, every fort of it, is not only famous, but they are a part of our national heritage. Can we think of India's greatness without *Rajputana's* forts, without *Rajputana's* arts, forget about the cloth and other things. Anyway, the whole question is, Rajasthan, with a population of six crore people, is having a rich language. Sir, somebody referred to *Mirabai's Bhajans.* These *Bhajans* are very dear to every Indian heart. I wonder how is it that this language has not been able to find a place in the Eighth Schedule of our Constitution. It is good that Dr. Singhvi has brought this Bill. It has been brought at an opportune moment. I think, Sir, it is an appropriate time that we should pass this Bill. We wholeheartedly support it, because we cannot think of ourselves, feel proud of ourselves, without feeling proud of Rajasthan and Rajasthani language.

Sir, regarding the three-language formula, I would like to bring it to the notice of the House that there are more English-speaking people in India than in entire Great Britain. We cannot abandon this language.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANGH PRIYA GAUTAM): They speak better English. *...(Interruptions)...*

DR. M.N DAS: It is a difficult thing. It is difficult to analyse. But, Sir, there are more English-speaking people in India today than in entire Great Britain. Now, Sir, regarding Hindi, i would like to say -- my South Indian friends should agree with me - the Hindi, in *'Kathit'* sense, and in written sense, different from what is termed as *'Chalti Hindi'.* This *'Chalti Hindi'* is understood everywhere in India. When we go to South, how do we buy vegetables from the market; how do we buy fruits? It is by using the *'Chalti Hindi'.* Sir, *Chalti Hindi* has become universal all over India. Wherever you go, you will find that the people understand this *Chalti Hindi.* So, that also we have to accept as a part of Indian culture, Indian tradition. I do not want to speak more on this aspect. But I want to say one more thing on this sub-leck. I come from Orissa. But I feel proud of myself when I think that my ancestors came from Rajasthan. I belong to a community called *'Raju',* an abbreviated form of *Rajput.* Why? It is because the great Emperors of medieval *'Utakal',* belonging to the Ganga and the Surya Dynasties, brought our ancestors to work as their soldiers, to defend their Empire, which extended from the *Ganges* to the *Godavah.* And, we settled permanently in Orissa. We became *Oriyars.* We speak

Oriya. But, sometimes, in our sub-conscious state of mind, we think that we had come from *Rajputana.* Anyway, I thank Dr. Singhvi for having brought this Bill. I wholeheartedly support this Bill.

SHRI K. NATWAR SINGH (Rajasthan): Sir, like Dr. Singhvi, I also come from Rajasthan. He comes from West Rajasthan. I come from East Rajasthan, where the mother tongue is *brij bhasha.*

मेरी मातृभाषा बृजभाषा है । मैं राजस्थानी समझता हूं इसमें कोई दो राय नहीं, मगर भरतपुर में, धौलपुर में, करौली में, अलवर के काफी बड़े हिस्से में बृज भाषा ही वहां की मातृभाषा है और यह जो...(व्यवधान)... मैं आपके जरिए सिंघवी जी से अनुरोध करूंगा कि अपने दिल में खाकसार की भी दरख्वास्त मान लें कि यह जो अमेंटमेंट है अगर इसमें बृजभाषा को भी जोड़ दिया जाए क्योंकि वह इतनी राजस्थान की भाषा है कि जैसे राजस्थानी है । यह सदन को कहने की जरूरत नहीं है कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी ब्रज में पैदा हुए है । अगर आप मीराबाई के भजन सुनें तो वे भी बृजभाषा में है । मैं उम्मीद करता हूं कि बृजभाषा को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा । वे मेरे बड़े भाई है, ज्यादा तो बड़े नहीं है उम्र में, पर थोड़े से बड़े है । मेरा एक नम्र निवेदन है कि जो मैंने कहा है उसे स्वीकार कर लेंगे ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : उपसभाध्यक्ष जी, 11 मेम्बरों ने इस डिबेट में भाग लिया और कहीं भी कोई ऐसा स्वर नहीं था कि राजस्थानी को शामिल न किया जाए, डा. सिंघवी से लेकर कंवर साहब तक । कंवर साहब ने सिर्फ इतनी बात की कि बृजभाषा भी जोड़े और यही हमारी समस्या है । समस्या यह है कि 32 डिमांड्स सरकार के सामने है और कई जगह से यह बात आई है...(व्यवधान) मैथिली भी है. भोजपुरी भी है । ये सब बाते है । इसके लिए ही 1996 में आफिशियल लैंग्वेज के जो सेक्रेट्री थे उनकी अध्यक्षता में एक आफिसर्स कमेटी बनायी थीं । उन्होंने 7-8 मीटिंगे की । 1997 में कीं, 1998 में की और कुछ क्राइटेरिया बनाया जैसे ज़िओग्राफिकली कितने एरिया में बोली जाती है, क्या वह लैंगवेज साहित्य एकादमी में रिकग्नाइज्ड है कि नहीं, क्या वह उस स्टेट में, जिस स्टेट की तरफ से उस लैंग्वेज की डिमांड आ रही है, उस स्टेट ने अपनी स्टेट में उसको वन आफ द आफिशियल लैंग्वेज बना दिया है कि नहीं । इस तरह के उन्होंने तीन-चार क्राइटेरिया के तौर पर बनाए – क्या उसका लिट्रेचर इतना डेवलप हो चुका है कि वाकई उसको लैंग्वेज के तौर पर एट्थ शिड्यूल में ले लिया जाए, क्या उसमें कोई डायलेक्ट तो नहीं है, बल्कि वाकई एक इंडियन लैंग्वेज है । ये सब 8-6 क्राइटेरिया देखकर उन्होंने यह महसूस किया कि इन 32-33 की डिमांड जो हमारे सामने है इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनायी जाए क्योंकि इन क्राइटेरिया के अलावा कुछ एक्सपर्टस उसमें शामिल हों, कुछ स्पेशलिस्ट्स शामिल हों, कुछ साहित्यकार शामिल हों और यह बात देख लें कि कौन कौन सी लैंग्वेजेज है ताकि सबकी सहमति बने ।

दूसरा इसमें एक पोलिटिकल एंगिल आता है कि अगर हम कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट के लिए एक या दो लैंग्वेजेज के लिए भी बिल लाएं तो उसमें सहमति होगी कि नहीं । बहुत सारे लोग सोचेंगे कि पहले पाली शामिल करो, पहले भोजपुरी शामिल करो, पहले मैथिली शामिल करो, पहले जैसे आपने कहा कि यह लैंग्वेज इसमें शामिल होनी चाहिए, जैसे आपने भी कभी

कहां और यहां से एक बहिन ने भी बनाया । बी.पी. सिंहल जी ने भी यह कहा । आखिर कोई न कोई क्राइटेरिय तो इसमें बनाना होगा, जो आब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो और उस क्राइटेरिया की बेसिस पर ये 32 की 32 लैंग्वेजेज जिनकी डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने है, इनको देख लिया जाए ओर वह कमेटी जो रिक्मेंड करे उसमें एक ही कांस्टीटयूशन अमेंडमेंट बिल लाकर उन सब लैग्वेजेज को ला दिया जाए । अब तक क्या हुआ है ? कांस्टीटुएंट असेम्बली की हम सारी प्रोसीडिंग्स देखें, उसमें भी कोई क्राइटेरिया नहीं कि 14 लैंग्वेजेज किस हिसाब से उस वक्त की थीं । जितनी लैंग्वेजेज अब आई हैं – एक पन्द्रहवी लैंग्वेज 1967 में आई थी, सिन्धी को इन्क्लूड किया था, फिर उसके बाद 1992 में तीन लैंग्वेजेज एट्थ शिड्यूल में और इन्क्लूड की थीं, अगर इन 18 लैंग्वेजेज को भी ले लिया जाए तो 96-97 परसेंट भारत के लोग उसमे कवर हो जाते हैं । लेकिन फिर भी 32 लैंग्वेजेज की डिमांड है । इसलिए इन 32 लैंग्वेजेज के लिए क्राइटेरिया बनाने की बात है ।

एक बात मैं आपके माध्यम से इस आगस्ट हाउस को क्लियर करना चाहता हूं कि सरकार की कतन यह नीयत नहीं है कि जैसे आम तौर पर इम्प्रेशन होता है कि कमेटी बनाई और बात गुम हो गयी । कमेटी बनी रहेगी । पता नहीं कब कमेटी की रिपोर्ट आएगी । पिछले हफ्ते जब डोगरी पर यहां बहस हुई थी, उस समय भी उसके तुरतं बाद मैंने स्वंय बात करके यह फाइल चलायी । हमने हाई पावर कमेटी बनाने के लिए फाइल चलती कर दी है । ताकि जल्दी से वह हाई पॉवर्ड कमेटी बन जाए । जो 4-5 क्राइटेरिया ऑफिसर्ज़ कमेटी ने रखे, जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया ,उसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स कोशामिल करके जल्दी से जल्दी उसके बारे में कोई आब्जेक्टिव क्राइटेरिया बता दें ताकि उस आब्जेक्टिव क्राइटेरिया को बनाने के साथ उन 32 की 32 डिमांडज़ को देख लिया जाए और जो लैंग्वेजेज उस क्राइटेरिया से क्वालीफाई करती हों उनके लिए एक ही कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ला कर इस बात का निर्णय हो जाए । इसलिए उसमें डिले की कोई बात नहीं है । मैं यह विश्वास सदन को दिला सकता हूं और खास तौर पर डा. सिंघवी जी को कि कई दफा तो एसी विडंबना होती है कि जब ये तीन लैंग्वेजेज 1992 में शामिल की थीं तो उस वक्त दो क्राइटेरिया उन्होने सामने रखे और बातचीत हुई , उसमें क्या क्राइटेरिया रखा कि एक तो साहित्य अकादमी ने उसको रिकोग्नाइज़ किया या नहीं, हां, किया है और दूसरा यह कि क्या उन रेस्पैक्टिव स्टेट्स ने उन लैंग्वेजेज को अपनी आफीशियल लैंग्वेज बना दिया या नहीं । कंस्टीट्यूशन के 347 आर्टिकल के मुताबिक कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी स्टेट अपनी स्टेट में जो भी एक या एक से ज्यादा जिन लैंग्वेजेज को वह आफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहती है,उसको आठवें शैडयूल की जरूरत नहीं है । वह कंपीटैट है, इंटीपेंडेंटली हरेक लैजिस्लेचर, हरेक स्टेट कंपीटैंट है कि वह जिस भाषा को अपनी स्टेट में ठीक समझाती है, डिवेलप्ड समझाती है, लिटरेचर के हिसाब से, साहित्य के हिसाब से जो ज्यादा बोली जाने वाली है, जैसे राजस्थानी के बारे में बात आई, डोगरी के बारे में भी बात आई और भोजपुरी के बारे में भी बात आएंगी तथा मैथिली के बारे में भी बात आएगी, तो यह किसी स्टेट को मनाही नहीं है कि जब तक आठवें शैड्यूल में वह भाषा न जाए, उस वक्त तक वह उसकी अपनी स्टेट में आफिशियल लैंग्वेज नहीं बन सकती । वह बन सकती है । उन तीन भाषाओं को जब शामिल किया गया तो उस वक्त वे दोनों क्राइटीरिया पूर करती थी, साहित्य अकादमी ने भी रिर्कोनाइज़ किया हुआ था ओर रेस्पैक्टिव स्टेट्स में भी वे आफिशियल लैंग्वेजेज़ थीं ।...(व्यवधान)...

श्री बालकवि बैरागी : स्वामी जी, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि जब आपने इस आधार को मूलाधार बना करके उसको शामिल किया तब फिर सिंधी भाषा के लिए कौन सा प्रांत है जिसने उसको अपनी आफिशियल लैंग्वेज बनाया है ? सिंधी का तो काई प्रांत हमारे पास नहीं है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHR1 SANGH PRIYA GAUTAM): Do you want to make some point, Mr.Shariq?

श्री शरीफ-उद्-दीन-शरीक (जम्मू और कश्मीर) : महोदय, इसके पहले कि आप किसी जुबान को किसी भाषा को कंस्टीट्यूशन के आठवें शैड्यूल में लांए, क्या इस सिलसिलें में कोई सर्वे हुआ है कि उस भाषा को बोलने वाले कितने लोग है ? कोई भाषा पुराने जमाने में 2000 साल पहले बोली जा रही थी । अब उसकी पवित्रता के लिए उसको कंस्टीट्यूशन में ठोक लें ओर उस भाषा को बोलने वाला कोई न हो, तो यह किस किस्म की बात हुई ? जैसे हम अरबी जुबान को कंस्टीट्यूशन में लें आएं और यहां उसको बोलने वाला कोई नहीं, हम संस्कृत को कंस्टीट्यूशन में लाएं और उसको सुनने या बोलने वाला कोई नहीं हो । तो क्या इस तरह का कोई सर्वे हुआ है कि कौनसी भाषा किस इलाके में है और कितने लोग बोल रहे है ?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : नहीं, ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन कमिश्नर ऑन् माइनारिटीं लिंक लैंग्वेजेज़ के बारे में इस बात को देखता है, माइनारिटी लैंग्वेजेज़ को देखता है । कौन सी भाषा, कितने-कितने लोग भारत में बोल रहे है इसके बारे में मेरी जानकारी के अनुसार कोई सर्वे नहीं हुआ । लेकिन एक असैसमेंट जरूर है कि 18 भाषाएं जो आठवें शैड्यूल में है, 96 परसेंट भारत के लोग उनको बोलते हे ।...(व्यवधान)

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : सेंसेज में भाषा लिखी जाती है । पंजाब का जो चक्कर हुआ वह इसी कारण से हुआ कि गुरूमुखी में लोग अखबार पढ़ते थे और गुरूमुखी वे बोलते थे, और हिन्दी लिखी ...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANGH PRIYA GAUTAM): Mr. Singhal, you have already spoken.

श्री भारतेन्द्र प्रकाश सिंहल : मैं सिर्फ प्वायंट् रखना चाहता था ।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : सेंसेज में कितने लोग आते है और कितने लोग कौन सी भाषा बोलते है, इसके बारे में इस वक्त तो मेरे पास जानकारी नहीं है । ...(व्यवधान)

श्री शरीफ-उद्-दीन शरीक (जम्मू और कश्मीर) : माइनारिटी कमीशन के पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि वह यह देखे कि कितने लोग कौन सी जुबान बोल रहे है ?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : इसीलिए यह बात आई कि जो आफिसर्ज़ की कमेटी बनी उन्होंने यह रेकमेंड किया कि एक हाई पॉवर्ड कमेटी बना दी जाए, जो जितनी डिमांड्ज सरकार के सामने आई हुई हैंउन सब के बारे में यह देखे कि कौन सा आब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो सकता है, उसके बारे में वह निश्चित कर ले और फिर सारा आब्जेक्टिव क्राइटेरिया सामने आ जाएगा और सारा कंसेंसेस भी डिवेलप हो जाएगा । एक हाई पॉवर्ड कमेटी उसको देख लेगी । उसके बाद जो 32 डिमांड्ज आई है, या कोई और डिमांड भी आ सकती है , उस वक्त उन

3.00 P.M.

डिमांड्ज को देख लिया जाएगा। इसलिए इस संदर्भ में मेरी यह गुजारिश है और यह विश्वास दिलाते हुए कि सरकार की इसको डिले करने की ऐसी कोई मंशा नहीं है। जनरल इम्प्रेशन वह जरूर होता है कि अगर कमेटी बना दी है तो मामला ढिलमुल होगा, मामला खटाई में चला जाएगा। महोदय, पिछल हफ्ते में तुरंत बाद वह फाइल चला दी गयी और उस पर एक्शन शुरू हो गया तथा हाईपावर कमेटी जल्दी बनने के बाद उसे भी कोई टाइम लिमिट दे दी जाएगी।

श्री मूल चन्द मीणा : आप ने हाई-पावर कमेटी की बात की, लेकिन हाई-पावर कमेटी के लिए टाइम लिमिट कर दें कि वह इतने टाइम में रिपोर्ट दे देगी जिस से हमें तसल्ली रहे कि इतने समय में हमारी बात सुन ली जाएगी।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, एक विश्वास दिलाने की बात की है जिस के लिए हमारा प्रयास होगा। एक हफ्ते के अंदर हम ने उस पर एक्शन शुरू कर दिया है ताकि हाई-पावर कमेटी बन जाय और जब हाई-पावर कमेटी बनाएंगे तो उस में हमार प्रयास रहेगा कि उस की अवधि निश्चित कर दें। नॉर्मली हर कमेटी की अवधि निश्चित होती भी है और इस में भी हम कोशिश करेंगे कि उस की अवधि निश्चित कर दें ताकि उस की रिपोर्ट आने के बाद एक्सपर्ट्स से, स्पेशलिस्ट्स से, एकेडिमिशियंस से, प्रोफेसर्ससे से साहित्यकारों से बातचीत कर के उन को अपने साथ एसोसिएट कर के एक ऑजेक्टिव क्राइटेरिया सामने आ जाय। उस के बाद एक कांस्टीट्यूशन अमेंटमेंट बिल आए जिस में जितनी भी लेंग्वेज की डिमांड्स है या उस समय तक और जो डिमांडस आंए, उन सब पर विचार हो। महोदय, हमें तो यह उम्मीद थी कि जब रिव्यु कमीशन ऑन कांस्टीट्यूशन बना था तो उन्होंने भी ये सारी चीजें ली थी। हम ने वह सारे कागज़ उन को भेजे थे और हमार ख्याल था कि रिव्यु कमीशन ऑन कांस्टीट्यूशन भी इस बारे में कोई क्राइटेरिया बताए, लेकिन जितनी जानकारी वेब-साइट से मिली है, चूंकि उस की रिपोर्ट अभी प्रिंट हो रही है, उस कमीशन की रिपोर्ट में अभी तक कोई ऐसी चर्चा नहीं आई है। इसलिए हाई-पावर कमेटी बनाना जरूरी हो गया है। महोदय, हाई-पावर कमेटी बनाकर जल्दी से जल्दी इस का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया निश्चित कर के इन चीजों का फैसल कर दिया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ, मैं आप के माध्यम से इस हाउस को एश्योर करता हूं कि हमारा इरादा टालने का या देरी करने का नहीं है। महोदय, डोगरी सिंधी, मैथिली और बहुत सी लेंग्वेजेज है जिन के संबंध में उस क्राइटेरिया से निर्णय हो सकेगा। इसी आश्वासन के साथ, मैं आप के माध्यम से इस हाउस को एश्योर करता हूं कि हमारा इरादा टालने का या देरी करने का नहीं है। महोदय, डोगरी, सिंधी, मैथिली और बहुत सी लेंग्वेजेज हैं जिन के संबंध में उस क्राइटेरिया से निर्णय हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ और इस विश्वास के साथ मैं डा. सिंघवी से रिक्वैस्ट करूंगा कि वह फिलहाल इस बिल को वापिस ले लें और हम बहुत जल्दी सिंधी, डोगरी और जिन 32 भाषाओं की डिमांड्स अलग-अलग स्टेट्स से आई है, उन सब का कंसीडर कर के एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इवॉल्व कर के हम कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाएंगे।

डा. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभार मानता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और इतनी गहरी सहदयता व संवेदनशीलता से राजस्थानी को मान्यता देने का सशक्त समर्थन भी किया। मैं उन का ह्रदय से आभारी हूं।

महोदय, 40 वर्षो के बाद मैं फिर से यह संकल्प संसद में लाया हूं क्योंकि इन 40 वर्षो में वही कहावत चरितार्थ हुई है कि,"नौ दिन चले अढ़ाई कोस"। लेकिन इस सरकार की प्रतिबद्दता जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है, इस प्रकार का आश्वासन पाकर प्रसन्नता हुई है।

महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री रेड्डी ने कहा कि कोई समयावधि निर्धारित कर दी जाए कि तीन या चार महीने में आप इस सदन को इस बात की सूचना दे देंगे कि यह रिपोर्ट है और हम यह निर्णय ले रहे है।

महोदय, मुश्किल यही है कि वह जो पुराना शासन के लिए जुमला है, कानून का और शासन का जुमला है। कि, "यह मामला जेरे तजबीज है"। यह तजबीज शासन के लिए ताबीज बन गया है और यह मुझे डा. जॉनसन की उस उक्ति का स्मरण कराता है जिस में उन्होंने कहा था कि A committee consists of individuals who can do nothing individually and decide collectively that nothing can be done. महोदय, हम ने लोकतंत्र में एक और भी तरीका पाया है और वह यह है कि कमेटी पर कमेटी बनाते है, लेकिन निर्णय नहीं ले पाते है। महोदय, पीछे जो भाषाएं इस सूची में सम्मिलित हुई उस के लिए कभी कमेटी की जरूरत महसूस नहीं हुई। लोक शाही में कमेटी जरूरी होती है और अगर कमेटी बनानी है तो इसी सदन की बनाइए। इस सदन की कमेटी इस बात पर विचार करे। महोदय, मुझे स्मरण है मेरे निवेदन पर राजस्थान के संसद सदस्यों ने मिलकर और हमारे सदन के नेता भी जसंवत सिंह जी ने इस आशय का पत्र माननीय गृह मंत्री जी को लिखा था कि कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए। आज इस माननीय सदन में बड़ी सहमति के साथ इस बात को कहा गया, किन्तु फिर भी कमेटी बनानी हो तो इस सदन की कमेटी बनाइए ताकि हम लोग स्वंय विचार करें। आखिर चार-पांच अफसरों की आप कोई कमेटी बना दें और वह हमारी बात के बाद में हमारी अपील सुनेंगे और हमारी बात पर वह निर्णय देंगे तो यह मैं लोकशाही के अनुरूप नहीं समझता हूं। मेरा निवेदन यह है कि इस बात पर विवचार करने के लिए या तो इस सदन की कमेटी बना दीजिए, जिसमें हम साक्ष्य ले सकते सकते हैं, उसमें और कुछ विचार कर सकते है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी यहां मौजूद है। मैं जानता हूं कि उनके ह्रदय में भाषाओं के प्रति, संस्कृति के प्रति बहुत संवेदनशीलता है और मैं आशा करता हूं कि उनके नेतृत्व में यह निर्णय वह स्वंय ले सकेंगे। यह निर्णय एक ऐसा निर्णय है, जिसके लिए जितनी विद्वता की सामग्री चाहिए, वह सब उपलब्ध है। निर्णय करने का तरीका तो एक ही है,और न निर्णय करने के तरीके कई है, जिसमें कमेटी भी एक होती है। अकसर यह होता है, कमेटी बैठती है, पहले तो वह अपना काम ही समाप्त नहीं कर पाती, लेकिन कमेटी बैठती है तो कमेटी को टाइम लेना पड़ता है, समय बहुत लगता है और अगर इतना लगता है तो एक ऐसी मांग जो कि लोगशाही की मांग है उसको स्वीकार करने में विलब होता है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता।

उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री मीणा जी ने अपने भाषण में यह रेखांकित किया कि कई विश्वविद्यालयों में यह भाषा पढ़ाई जाती है और श्री रेड्डी ने बताया कि इस भाषा को साहित्य अकादमी ने भी मान्यता दे दी है। उन्होने वैज्ञानिक आधार पर मान्यता दी है, जो उनके मानक है, जो सिद्धांत है, उनको उन्होंने माना है। उसके बावजूद भी अगर यह कहा जाए कि अब इतनी इसरी भाषाएं हे तो आश्चार्य है किन्तु दूसरी भाषाओं का तो यहाँ कोई विधेयक नही है हम तो इस विधेयक नही है हम तो इस विधेयक नही है हम तो इस विधेयक पर बात कर रहे है मेरा निवेदन हे कि यदि इस विधेयक पर आज ही निर्णय हो जता तो अच्छा होता। फिर भी चूंकि मंत्री महोदय निर्णय हो जाता तो अच्छा होता। फिर भी चूकि मंत्री महोदय ने रहा हि और स्वय गृहमंत्री जी यहाँ मोजूर है तो मै यह आश करता हें कि एक बात अवश्य याद रखी जाएगी कि Too Little to late

यह किसी नीति का नाम नहीं है, यह अनीति का नाम है । मैं समझता हूं कि इस बात पर विचार करते हुए हम इस बात को ध्यान में रखेंगे, जिस बात को मार्मिक रूप से हमारे माननीय सदस्य बालकवि बैरागी जी ने कहा और गवई जी ने कहा, श्री सिंहल साहब ने भी भाषा नीति के बारे में बडी परिक्रमा तो की, किन्तु कहा कि बात को कहीं न कहीं तो रूकना होगा । मेरा एक निवेदन यह है, जैसा कि ठाकुर साहब ने कहा कि यहां इस भाषा का सवाल है, अगर इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत है तो बता दिया जाए और अगर इस भाषा के बारे में कोई दिक्कत नहीं है जो शायद तीस, चालीस, पचास और भाषाओं के बारे में है तो उस बात को अलग से लिया जाए ।

उपसभाघ्यक्ष महोदय, मैं माननीय नटवर सिंह जी की इस बात से सहमत हूं कि भाषाओं का आदर होना चाहिए और ब्रज भाषा तो इस देश की लिंग्वा फ्रांका रही है, पूरे भारतवर्ष में इस भाषा का प्रचलन था । स्वंय गुरू तेग बहादुर जी ने अपने काव्य को ब्रज भाषा में लिखा था । यह ब्रज भाषा हमारे देश को जोड़ने वाली भाषा रही है और मैं उसका ह्रदय से आदर करता हूं । इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि मीरा ने जिस भाषा में लिखा है, मैं उस क्षेत्र से हूं वहां मेरा जन्म हुआ है, मीरा ने जिस भाषा में लिखा है, जैसा कि श्री ळावेरचंद मेघाणी ने कहा है, वह भाषा काठियावाड से लेकर प्रयाग तक प्रचलित थी और उसका नाम राजस्थानी था । मेरा यही निवेदन है कि भाषाओं के मामले में उदार द्दष्टिकोण अपनाना चाहिए क्योंकि हमारी विविधता का सबसे बड़ा परिचायक वही है । मेरे पास एक पुस्तक अभी आई है, जो श्री अमर सिंह राजपुरोहित ने लिखी है – "इन्दर नै औलभौ" । उसमें यही कहा है – आपांणी जुंगा जुगां री औलखाणा, अपणायत अर लोक संस्कृति नै जै अबोट राखणी है तो आपांनै मायड़ भाषा सूं हेत करणौ पड़सी । यह अपनी भाषा से मित्रता करने की बात है, अपनी भाषा से प्रीति करने की बात है । इस बात को कन्हैया लाल जी सेठिया, जिनकी प्रशस्ति में हमारे बालकवि बैरागी जी ने बहुत कुछ कहा है, उनकी कुछ पंक्तियां उद्वत करना चाहता हूं । उन्होंने कहा है :-

बिन्यां मानता मरूभासा री
गंगा ज्यासी सूख,
नहीं सुवारथ कोई म्हारो
नहीं नांव री भूख,
वीर भूमि री, त्याग भूमि री
नहीं रवैली ओप,
बिन्यां मानता जन भासा नै
कीरत ज्यासी लोप,
आठ कोड़ मिनखां री पीड़ा
म्हारै हिव री पीड़,
नहीं एकलो, म्हारै लारै
अणगिण जण री भीड़,

यह आठ करोड़ लोंगों के ह्रदय की व्यथा है, पीड़ा है और अंत में उन्होंने कहा कि :-

राखी चावो जड़ा जींवती
दयों मायड़ नै मान ।

माता को मान देने का मतलब है, जड़ो को सींचना और यह बहुत जरूरी है कि हम इस बात को भूलें नहीं । इस शब्द में,इस भाषा में जो साहित्य है, जो विपुल संगीत है, जो रस है, उसके प्रमाण में हमारे कवि गुरु श्री रविन्द्र नाथ टैगोर की चार पंक्वियों को मैं उद्वत करना चाहता हूं क्योंकि उससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप कहें कि हम तो कमेटी में भेजेंगे तो इसका मतलब यह है कि रविन्द्र नाथ टैगोर की बात को अब कमेटी देखेगी, उसकी जांच करेगी और यह मुझे समझ में नही आता । उन्होंने कहा है, मैं उद्वत कर रहा हूं :-

"कुछ समय पहले कलकत्ते में मेरे कुछ राजस्थानी मित्रों ने रण-संबंधी कुछ राजस्थानी गीत मुझे सुनाए । मैं तो उनको सुनकर मुग्ध हो गया । उस भाषा में, उन गीतों में कितनी सरसता, सहगदयता और भावुकता है । वे लोगों केस्वाभाविक उद्‌गार है । मैं तो उनको संत साहित्य से भी उत्कृष्ट समझता हूं । क्या ही अच्छा हो अगर वे गीत प्रकाशित किए जाएं, वे गीत संसार के किसी भी साहित्य और भाषा का गौरव बढ़ा सकते है । ईश्वर ने चाहा तो मैं उनको शांति निकेतन के हिन्दी भवन द्वारा भी प्रकाशित करवाऊंगा । राजस्थानी साहित्य को भारत की जनता के सामने लाने की मैं पूरी कोशिश कंरूगा । "

यही बात स्वर्गीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यशस्वी पिता सर आशुतोष मुखर्जी ने कही । श्री आशुतोष मुखर्जी ने कहा था कि यह जो राजस्थानी साहित्य है, यह हमारे इतिहास की धरोहर है और इस साहित्य में ऐसे प्राण है, जो हमको फिर से अनुप्राणित कर सकते है । श्री आशुतोष मुखर्जी ने कहा :-

"But bardic poems are important as literary documents. They have a literary value and taken together form a literature which, when better known, is .sure to occupy the most distinguished place amongst the literatures of the New Indian vernaculars."

उपसभाध्यक्ष महोदय,सीताराम जी लालस ने राजस्थानी शब्दकोष की रचना की थी । मैं उस समय लोक सभा का सदस्य था और मैं उनके उस शब्दकोष को लेकर उस समय के प्रधानमंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पास गया । जब मैंने उनको वह शब्दकोश दिखाया तो उन्होंने पाया कि इस शब्दकोष में किसी भी भारतीय भाषा से अधिक शब्द है । अभी-अभी श्री विजय नाथ देठा ने कहावत कोष का निर्माण किया है । यह एक विशाल, विराट उपक्रम है, इसके लिए मैं हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी आभारी हूं कि उन्होंने उनकी मदद की है । आप देखेंगे कि इसमें लोक संस्कृति और लोक जीवन का प्राण स्पंदित होता है । मेरा निवेदन यही है कि पूरी तरह से इस बात को समझा जाए और यदि हो सके तो अभी इस पर कुछ कहा जाए, क्योंकि स्वंय गृह मंत्री जी यहां मौजूद है या इसको मुल्तवी किया जाए और तब इस पर विचार किया जाए ।

यह कहा जा सकता है कि क्राइटीरियन होना चाहिए । कि क्राइटीरियन होना । पैरामीटर्स की बात बहुत सैद्वान्तिक बात लगती है किन्तु यह भी समझना चाहिए The life is not logict the life of law is experience और लोकशाही में सबसे बड़ी बात यह है कि जनता की मांग यह है, जनता यह चाहती है इसको देखा जाए । मैं यह आशा करता हूं कि हमारे माननीय गृह मंत्री

जी इसमें उदारता के साथ विचार करेंगे और यह भाषा, जो 8 करोड़ लोगो की भाषा है, उसकी उपेक्षा नहीं होने देंगे, उसको स्वीकार करेंगे और इसे संविधान की 8 वीं अनुसूची में स्थान देने के लिए कुछ कहेंगे । अगर वे एक-दो शब्द कहेंगे तो हम बहुत अनुगृहीत होंगे अन्यथा मैं तो इसको वापिस लेने के लिए बाध्य हूं क्योंकि एक आश्वासन है और इस आश्वासन को पूरा करने के लिए आशा करता हूं कि 3,4 या 5 महीने में इस सबंध में सब कार्यक्रम पूरे हो जाएंगे । धन्यवाद ।

(उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) पीठासीन हुए)

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि गृह राज्य मंत्री जी ने इस प्रश्न पर सरकार के दृष्टिकोण को बड़े अच्छे ढंग से रखा है और मैं समझता हूं कि इस मामले को लटकाना नहीं चाहिएं और जल्दी से जल्दी इसका निष्पादन करना चाहिए ।जहां तक राजस्थानी भाषा का सवाल है, डा. सिंघवी जी स्वंय जानते है कि मैं कई वर्षो तक राजस्थान में रहा हूं । जिस समय वे रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राजस्थान के वीर रस के गीतों का उल्लेख कर रहे थे तो मुझे मुकुल जी का "सेनानी" याद आ रहा था । हो सकता है कि वहीं उन्होंने उस समय सुना हो । इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजस्थानी भाषा की जो प्रतिभा है, उसका आदर होना चाहिए, यह बहुत अच्छी बात है । लेकिन साथ ही साथ देश की 30 से भी अधिक भाषाएं ऐसी है जिनकी ओर से उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग है । इसलिए सरकार जब इस बारे मे निर्णय करेगी तो सभी पहलुओं पर विचार करके ही कोई निर्णय करेगी ।

श्री के. नटवर सिंह : महोदय, आडवाणी जी ने ज़िक्र किया कि वे राजस्थान में काफी रहे है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे राजस्थान के ब्रज के हिस्से में अधिक रहे है । आप इसको कबूल करिए ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं अलवर में भी रहा हूं, भरतपुर में भी रहा हूं, कोटा में भी रहा हूं, जयपुर में भी रहा हूं । वैसे पूरा राजस्थान मैंने देखा है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : सिंघवी जी, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे है ?

डा. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि फिलहाल इस प्रस्ताव को वापस लिया जाए । मैं यह आशा करता हूं कि शीघ्र ही इस मामले में समुचित निर्णय होगा । मैं सदन से इस प्रस्ताव को वापस लेने का निवेदन करता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : क्या माननीय सदस्य को विधेयक वापस लेने की सदन की अनुमति है ?

सदन की अनुमति से विधेयक वापस हुआ

माननीय एस.एस. अहलुवालिया । वे उपस्थित नहीं है । माननीय पी. प्रभाकर रेड्डी । वे भी उपस्थित नहीं है । श्री संतोष बागड़ादिया । वे भी उपस्थित नहीं है । श्री मती सरोज दुबे । वे भी उपस्थित नहीं है

अब हम जम्मू और कश्मीर में नागरिकों और सशस्त्र बलों के परिवार के सदस्यों पर आंतकवादियों द्वारा 14 मार्च, 2002 को किए गए नृशंस हमले के परिणामस्वरूप महिलाओं ओर बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोगों में मारे जाने, इसके निहितार्थो और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया के संबंध में अल्पकालिक चर्चा आंरभ करेंगे । माननीय प्रणब मुखर्जी।

———————

SHORT DURATION DISCUSSION

The Dastardly Attack by Terrorists on Civilians and Army Personnel and their Family Memebrs in Jammu and Kashmir on 14th May, 2002

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity for raising a discussion under rule 176 on the dastardly attack by terrorists on civilians and army personnel in Jammu and Kashmir on the 14th May, 2002, leading to the killing of a large number of persons including women and children, its implications and the response of the Government thereto. Words are not enough to condemn this barbarism, this heinous crime. The anguish and the sense of outrage felt across the length and breadth of the country cannot be expressed in languages. Sir, the purpose of raising this discussion is not to score some debating points here and there, but to reflect our collective anguish and outrage, and to facilitate the Government to formulate its views, formulate its actions, after hearing the views of the representatives of the people, representing the cross-section of this country. Sir, on the 14"1 of May. in the evening, the hon. Home Minister expressed his sadness while informing the House about this attack. This latest attack by the terrorists raises certain questions, and we shall have to respond collectively to those questions. This is not the first; rather, this is the latest in the series of these types of acts, and it is part of the proxy war that has been going on, in the name of terrorist activities, in the State of Jammu and Kashmir. It is really unprecedented because of its depth and magnitude.

Sir, coming to seizures, I will give you just one figure about the arms and ammunition seized over a period of ten years, from May, 1990 to April, 2000. 33,763 weapons of various calibre, three million rounds of ammunition, 1,22,332 explosive devices, and a large volume of other war materials were seized. That is the magnitude of the attack, and that is the depth of the attack, that is taking place. It is a cold reality that Pakistan considers that its dream of Two-Nation Theory' remains unrealised unless they are in a position to annex Kashmir. To pursue that line, they launched